राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

चिदंबरम बोले–आम जनता भुगतेगी आंकड़ों के छलावे की असली मार

>> 5

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 32

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 12 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

लोगों के प्रयास से गंदा तालाब हुआ निर्मल

कपूरथला : देश के नागरिक अब 'जल ही जीवन' की सत्यता को स्वीकार करने के साथ ही पानी को संरक्षित करने की दिशा में भी काम करने लगे हैं। इस दिशा में पंजाब के कपूरथला में छप्पड़ (गंदे पानी का तालाब) का सदुपयोग कर जल संरक्षण किया जा रहा है। (पेज-13)

जागरण विशेष

अमरनाथ यात्रा में शिवभक्तों को भा रहे गुजराती व्यंजन

जम्मू : अमरनाथ यात्रा पर आ रहे भक्तों जैसी श्रद्धा भावना उनकी सेवा करने वालों में भी है। विभिन्न संस्थाएं खाने-ठहरने आदि का ध्यान रख रही हैं। विभिन्न राज्यों के लंगर लग रहे हैं, लेकिन शिवभक्तों को गुजराती व्यंजन ज्यादा लुभा रहे हैं। (पेज-13)

विश्वास. News

मुफ्त स्कूटी योजना की वायरल पोस्ट फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 7

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

फीस बकाया होने पर निजी स्कूल नहीं रोक सकता टीसी

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि फीस बकाया होने पर निजी स्कूल छात्र का ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) नहीं रोक सकता है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने यह आदेश दिए।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

उप्र में भीड़ की हिंसा रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश

लखनऊ : झारखंड के तबरेज की भीड़ की हिंसा में मौत के बाद पूरे भीड़ की हिंसा के दोषियों पर अंकुश लगाने की मांग उठने लगी है। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने इस सिलसिले में प्रदेश सरकार से विशेष कानून बनाने की सिफारिश की है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

एससी युवक संग शादी कर विधायक की बेटी पहुंची कोर्ट

बरेली : अनुसूचित जाति के युवक से शादी करने के बाद बरेली, उप्र के भाजपा विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी और उसके पति ने हाई कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट में साक्षी ने अपनी व पति की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

इंडिगो प्रमोटर्स के सभी बोर्ड सदस्यों की होगी जांच

नई दिल्ली : सरकार ने निजी विमानन कंपनी इंडिगो के प्रमोटर्स के मौजूदा विवाद की तह में जाने का फैसला कर लिया है। एक अधिकारी के मुताबिक सरकार चाहती है कि सेबी इंटरग्लोब एविएशन के निदेशक बोर्ड के सभी सदस्यों और उनके दो प्रमोटर ग्रुप की सभी इकाइयों की गहराई से जांच करे।

60 दिन में निपट जाएंगे किरायेदार–मकान मालिक के झगड़े

नई दिल्ली, आइएएनएस/ प्रेट्र : अब किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद का निपटारा 60 दिन के भीतर हो जाएगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्पेशल रेंट कोर्ट अथवा रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करेंगे। इतना ही नहीं, किरायेदार और मकान मालिक के बीच का विवाद सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा जहां मामला वर्षों तक चलता रहता है।

केंद्र सरकार ने किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक नए कानून का प्रस्ताव किया है। माना जा रहा है कि केंद्र के इस कानून से मकान मालिकों के साथ -साथ किरायेदारों के हितों की भी रक्षा होगी। नए कानून से उम्मीद है कि मकान मालिक अपने खाली फ्लैट या मकान किराये पर देने से नहीं डरेंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य देश में भवनों के किराये का नियमन करना है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2019 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए इस संबंध में नए कानून की घोषणा की थी।

मकान खाली न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान : केंद्र के नए कानून के प्रस्ताव के मुताबिक मकान मालिक या भूस्वामी किराये की समीक्षा करने से पहले तीन महीने का लिखित नोटिस देगा। प्रस्तावित कानून जिला कलेक्टर को किराया प्राधिकार के तौर पर नियुक्त करने और निर्धारित समय सीमा से अधिक वक्त तक रहने पर भारी जुर्माना लगाए जाने की भी हिमायत करता है। इसके मुताबिक यदि किरायेदार निर्धारित समय सीमा से अधिक वक्त तक रहता है तो उसे दो महीने तक दोगुना किराया और उसके बाद चार गुना किराया अदा करना होगा। किरायेदार द्वारा अग्रिम राशि के तौर पर मकान मालिक के पास जमा की जाने वाली राशि अधिकतम दो महीने का किराया होगी।

- केंद्र ने तैयार किया नए कानून का मसौदा, दोनों के हितों की होगी रक्षा
- किराये की समीक्षा करने से पहले मकान मालिक को देना होगा तीन महीने का नोटिस

प्रतीकात्मक

मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2019 का मसौदा जारी : केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने परामर्श के लिए 'द मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2019' का मसौदा सार्वजनिक किया है। इसमें कहा गया है कि मकान मालिक और किरायेदार को किरायानामा (रेंट एग्रीमेंट) की एक प्रति जिला किराया प्राधिकरण में जमा करानी होगी, जिसके पास भूस्वामी या किरायेदार के अनुरोध पर किराये की समीक्षा करने या उसे तय करने की शक्तियां होंगी। इसमें कहा गया है कि भूमि के 'राज्य सूची' का विषय होने के चलते इस कानून को स्वीकार करने के लिए राज्य स्वतंत्र होंगे। हालांकि, राज्यों को स्पेशल रेंट कोर्ट अथवा रेंट ट्रिब्यूनल गठित करने की जरूरत होगी।

मकान खाली कराने को नहीं काट सकेंगे बिजली पानी : अधिनियम के मसौदा में यह भी कहा गया है कि मकान मालिक या भूस्वामी किराये के परिसर में मरम्मत कार्य कराने या पुरानी चीजों को बदलने के लिए 24 घंटे के पूर्व नोटिस के बगैर प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रस्तावित कानून के मुताबिक किरायेदार से विवाद होने की स्थिति में मकान मालिक बिजली-पानी की आपूर्ति नहीं काट सकता है। मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी कर बताया कि 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में करीब एक करोड़ दस लाख घर या फ्लैट खाली पड़े हैं।

अयोध्या पर मध्यस्थता से बात न बनी तो 25 से रोजाना सुनवाई

निर्देश ▶ सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई तक मांगी प्रगति रिपोर्ट

पैनल की रिपोर्ट के आधार पर ही शीर्ष अदालत करेगी आगे का फैसला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने के प्रयास अगर सफल नहीं हुए तो कोर्ट मध्यस्थता की कार्यवाही बंद कर देगा और अपीलों की मेरिट पर सुनवाई करेगा। इतना ही नहीं, अगर जरूरत हुई तो 25 जुलाई से मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही कहां तक पहुंची है और उसकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट मांगी है। पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट 18 जुलाई को ही आगे का फैसला लेगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने मुकदमे के पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की अर्जी पर सुनवाई के बाद रोजाना सुनवाई के उक्त संकेत दिए। गुरुवार को विशारद की ओर से

अयोध्या मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मीडिया को ब्रीफ करते अधिवक्ता विष्णु शंकर। प्रेट्र

पेश वरिष्ठ वकील के. परासरन ने कोर्ट से कहा कि मध्यस्थता के जरिये हल निकलना बहुत मुश्किल है। मध्यस्थता की बहुत सी संयुक्त बैठकें हुईं, लेकिन इस तरह के विवाद का ऐसे निपटना मुश्किल है। बेहतर हो कि कोर्ट ही मामले पर सुनवाई करके फैसला दे। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने जनवरी 1950 में यह मुकदमा दाखिल किया था। मुकदमा दाखिल किए 69 वर्ष हो गए हैं। पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब बेटा मुकदमा लड़ रहा है जिसकी उम्र भी 80 वर्ष हो चुकी है। रामलला के वकील रंजीत कुमार ने भी परासरन का समर्थन किया और कोर्ट से मुख्य मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन ने कहा कि मध्यस्थता में जरूरी है कि पक्षकारों के बीच सीधे बातचीत हो। जब तक पक्षकारों में सीधे बातचीत नहीं होती, मध्यस्थता सफल नहीं हो सकती। इस मामले में पक्षकारों के बीच सीधे बातचीत नहीं हुई है जिससे कोई समझौता या हल निकले। जैन ने कहा कि जमीन पर मालिकाना हक के मुकदमे में मूलतः पक्षकार तो निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ही है बाकी सब तो पूजा अर्चना करने वाले हैं।

मुस्लिम पक्ष ने अर्जी का किया विरोध : मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने विशारद की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अगर कोई एक पक्ष मध्यस्थता से संतुष्ट नहीं है तो वह मध्यस्थता प्रक्रिया पर इस तरह सवाल उठाकर उसे भंग करने की मांग नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट के सामने मध्यस्थता पैनल नहीं है। कोर्ट ने पैनल गठित कर मामला मध्यस्थता को भेजा था। यह अर्जी कोर्ट के उस आदेश का विरोध करने वाली है, कोर्ट को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। इन दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि उन्होंने मध्यस्थता पैनल गठित किया था और वह रिपोर्ट मंगाकर यह देखेंगे कि मध्यस्थता में क्या हुआ।

क्या है मामला : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। जिसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान राम सहित हिंदू- मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है। इस बीच, आठ मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने के लिए भेज दिया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों का मध्यस्थता पैनल गठित किया था। कोर्ट ने शुरू में मध्यस्थता के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था और चार सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट मांगी थी। अंतरिम रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 15 अगस्त तक का समय दे दिया था।

विहिप ने कहा–जानबूझकर देरी कर रहे मुस्लिम पक्षकार पेज>>4

अनुवाद की सटीकता पर पक्षकारों ने नहीं दी रिपोर्ट पेज>>7

दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए देश भर में बनेंगी 1023 विशेष अदालतें

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- सरकार ने महिला सुरक्षा और त्वरित न्याय को कसी कमर
- महिला एवं बाल विकास, कानून और गृह मंत्रालय मिल कर करेंगे काम

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए सरकार महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के मामलों की त्वरित सुनवाई और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के इंतजाम कर रही है। इस सिलसिले में देश भर में 1023 विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। इनमें बाल यौन उत्पीड़न निरोधक कानून (पोक्सो) के तहत के मामलों की भी सुनवाई होगी। एक वर्ष के भीतर इन अदालतों को गठित करने और इन अदालतों में एक वर्ष के भीतर ही यौन उत्पीड़न के मुकदमों को निपटाने का लक्ष्य है। 18 राज्य विशेष अदालतों के गठन को सहमत हो गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जल्द न्याय दिलाने के लिए गृह, कानून और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिल कर काम कर रहे हैं। आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 2018 में विशेष अदालतों के गठन की बात थी। इनके गठन के लिए पैसा निर्भया फंड से जाना है। निर्भया अधिकार प्राप्त समिति ने इन अदालतों के गठन की संस्तुति भेज दी है। 1023 अदालतों के गठन में कुल 700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसमें से 474 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी बाकी पैसा राज्य सरकारों को देना होगा।

पोक्सो के तहत विशेष अदालतों के गठन के लिए 18 राज्यों ने मंजूरी दे दी है। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा , राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा शामिल हैं।

प्रत्येक कोर्ट पर सालाना 75 लाख रुपये का खर्च आएगा। ये अदालतें अभी राज्यों में ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर रही विशेष अदालतों से अलग होंगी। इनके गठन का उद्देश्य लंबित मुकदमों की संख्या को देखते हुए न्यायपालिका में ढांचागत संसाधन बढ़ाना है ताकि जल्द न्याय सुनिश्चित हो। इन अदालतों के कामकाज की निगरानी कानून मंत्रालय करेगा और तिमाही रिपोर्ट लेगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बाल यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामले जानने वालों द्वारा होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एनसीआरबी के साथ बैठक करके इन आंकड़ों के और पहलू तैयार करने को कहा है ताकि जानने वालों का भी विश्लेषण हो सके, कि वे लोग परिवार के हैं या पड़ोस के या फिर दूर के परिचित होते हैं।

बाल यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून में किए जा रहे हैं सख्त प्रावधान पेज>>7

अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को बड़ी राहत

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है। यहां निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा से इस संबंध में महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ है। इस विधेयक में ग्रीन कार्ड के मामले में हर देश के लिए निर्धारित अधिकतम सात फीसद की सीमा का प्रावधान हटाने का प्रस्ताव है। ऐसा होने से ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा में लगे हजारों भारतीयों को फायदा होगा।

ग्रीन कार्ड गैर-अमेरिकी नागरिकों को वहां स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। अभी के नियम के अनुसार, हर साल जितने ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं, उनमें एक देश के लिए अधिकतम सात फीसद की सीमा तय है। इस सीमा के कारण वहां एच-1बी वीजा पर काम कर रहे हजारों भारतीय आइटी पेशेवरों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्हें ग्रीन कार्ड पाने के लिए 10 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। कुछ मामलों में इंतजार का यह वक्त 50 साल से भी ज्यादा का हो जाता है। नए प्रस्ताव के तहत परिवार आधारित (फैमिली बेस्ड) इमिग्रेंट वीजा पर इस सीमा को सात से बढ़ाकर 15 फीसद करने की बात कही गई है। वहीं रोजगार आधारित (एंप्लॉयमेंट बेस्ड) इमिग्रेंट वीजा के लिए इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया जाएगा। यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में 65 के मुकाबले 365 वोटों से पास हुआ। अब विधेयक को सीनेट से मंजूरी लेनी होगी। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर से यह कानून का रूप लेगा। इस विधेयक को 'फेयरनेस फॉर हाई-स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट ऑफ 2019' नाम दिया गया है। इसे 'एचआर 1044' भी कहा जा रहा है।

- अमेरिकी संसद ने ग्रीन कार्ड पर हर देश के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा हटाई
- एच-1बी वीजा पर अमेरिका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को होगा फायदा

पहले आओ, पहले पाओ का प्रावधान करेगी अमेरिकी सरकार पेज>>11

कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा–न्यायोचित फैसला करूंगा

बेंगलुरु, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक के बागी विधायक गुरुवार को विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के समक्ष पेश हुए। रमेश कुमार बताया कि जिन विधायकों के इस्तीफे निर्धारित प्रारूप में नहीं थे, वे अब सही प्रारूप में प्राप्त हो गए हैं। वह परखेंगे कि इस्तीफे स्वेच्छा से दिए गए हैं और प्रामाणिक हैं। इसके बाद ही वह न्यायोचित फैसला लेंगे जो कुछ के लिए सुविधाजनक और कुछ के लिए असुविधाजनक हो सकता है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह न करते हुए तत्काल फैसला लेने से इन्कार किया और कहा कि उनसे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह बिजली की गति से काम करेंगे।

मुलाकात के बाद रमेश कुमार ने पत्रकारों को बताया, 'विधायक मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा देना चाहते हैं। मैंने कहा कि वे दे सकते हैं... उन्होंने मुझसे उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा। यह ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि वे प्रामाणिक हैं या नहीं, स्वेच्छा से दिए गए हैं अथवा नहीं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि वह नियमों के मुताबिक फैसला करेंगे। इसके अलावा पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई है जिसकी रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाएगी। स्पीकर ने यह भी बताया कि उन्होंने विधायकों से कुछ सवाल पूछे थे जिसके उन्होंने जवाब दिए। रमेश कुमार ने कहा कि वह ताजा राजनीतिक हालात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और न ही उसके नतीजों के लिए।

- बागी विधायकों से की मुलाकात, कहा- इस्तीफों की प्रामाणिकता जांची जाएगी
- पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी

मीडिया के सवालों के जवाब देते कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार। प्रेट्र

> कोर्ट ने मुझसे फैसला लेने के लिए कहा है। क्या मुझे बिजली की गति से काम करना चाहिए था? किसके लिए? नियमों और लोगों का क्या? मैं सिर्फ संविधान के लिए जीता हूं... मैं जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। मेरी प्रतिबद्धता इस राज्य के लोगों और संविधान के प्रति है।
>
> – केआर रमेश कुमार, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट आज फिर करेगा सुनवाई पेज>>3

क्रिकेट जगत को मिलेगा नया विश्व विजेता

अभिषेक त्रिपाठी, बर्मिंघम : इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पिछले चार साल से अपने जिस एक सपने को साकार करने के लिए पूरी योजना के साथ कड़ी मेहनत कर रही थी अब वह उस सपने को पूरा करने से सिर्फ एक कदम दूर है। उसने गुरुवार को यहां पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम चौथी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन उसे अभी भी अपने पहले विश्व खिताब का इंतजार है। अब इंग्लैंड का सामना रविवार को न्यूजीलैंड से होगा, जो खुद अभी तक एक बार भी विश्व कप नहीं जीता है। इस तरह न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने के साथ यह तो तय हो गया है कि इस बार खिताब चाहे जो कोई जीते, लेकिन क्रिकेट जगत को एक नया विश्व विजेता मिलेगा।

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से मिले 224 रन के लक्ष्य को 32.1 ओवर में दो विकेट पर 226 रन बनाकर हासिल कर लिया। उसकी इस जीत में सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय की अहम भूमिका रही। (विस्तृत खबर पेज-12 पर)

अंदरूनी संकट

लोकसभा चुनाव के बाद असमंजस पैदा करने से पार्टी में हर कार्यकर्ता परेशान, भाजपा पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रही कांग्रेस, भाजपा ने कांग्रेस को अपने गिरेबां में झांकने को कहा

कर्नाटक और गोवा के लिए जिम्मेदार राहुल

त्वरित टिप्पणी

प्रशांत मिश्र

गोवा में कांग्रेस के दस विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया और कर्नाटक में कांग्रेस के लगभग एक दर्जन विधायकों ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। कांग्रेस, भाजपा पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रही है। भाजपा की ओर से कांग्रेस को खुद के गिरेबां में झांकने की सलाह दी जा रही है। इसे कांग्रेस का अंदरूनी संकट बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर यह कांग्रेस का अंदरूनी संकट ही है, लेकिन इस संकट की जड़ में कौन है..? कांग्रेस अगर पूरी पारदर्शिता और निर्भीकता के साथ इसकी जांच करे तो कई लोग जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर राहुल गांधी होंगे। लोकसभा में हार के बाद उन्होंने जिस तरह पार्टी को असमंजस में धकेला है उससे पार्टी का हर व्यक्ति सहमा हुआ है। कर्नाटक और गोवा को इससे पूरी तरह अलग कर नहीं देखा जा सकता है और न ही इस्तीफा देकर राहुल इस आरोप से बच सकते हैं।

गोवा में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कि वह राज्य का विकास चाहते हैं और इसीलिए ऐसे दल के साथ जुड़े जो विकास कर सके। नेता प्रतिपक्ष रहे चंद्रकांत कावलेकर ने परोक्ष रूप से राहुल पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के अंदर जिस तरह संघर्ष चल रहा है उसमें आखिर कब तक इंतजार किया जाए। कर्नाटक में कांग्रेस छोड़ चुके विधायकों ने सीधा-सीधा आरोप लगाया है कि राज्य में विकास नहीं हो रहा है इसीलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। कर्नाटक में जदएस के साथ मिलकर सरकार बनाने की अनुमति देने वाले राहुल को ही इसका जवाब देना होगा।

लोकसभा चुनाव नतीजा आने के साथ ही राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आदतन कांग्रेस के अंदर उन्हें मनाने की लंबी कोशिशें चलती रहीं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें अब किसी से कोई लेना-देना नहीं। नाराजगी इस बात की कि कोई दूसरा नेता इस्तीफा नहीं दे रहा है। राजनीतिक अदूरदर्शिता की यह हद है। आखिर पिछले एक डेढ़ साल में तो उन्होंने ही सबको जिम्मेदारी दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल जिस तरह का अभियान चला रहे थे उसमें कितनों लोगों की सहमति ली थी? क्या राहुल को इसका भी अहसास है कि जो लोग पदों पर बैठे हैं उनके हटने का भी कोई प्रभाव दिखेगा? यही हठ है जिसके कारण कांग्रेस के अंदर बड़ी संख्या में लोग हैरान और परेशान हैं। उन्हें यह नहीं सूझ रहा कि कांग्रेस खड़ी होकर चलने की दशा में होगी भी या नहीं। कर्नाटक और गोवा इसका सीधा-सीधा परिणाम है और लोकसभा हार की जिम्मेदारी ले चुके राहुल को सार्वजनिक रूप से यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि पिछले एक डेढ़ महीने में उनके रवैए ने ही पार्टी को नुकसान ही पहुंचाया है।

कर्नाटक की बात करें तो किसे नहीं पता है कि सरकार गठन के वक्त से ही कांग्रेस विधायकों में रोष था। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया वर्तमान स्थिति को सहजता से नहीं से पचा पा रहे थे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी हारी उसके बाद रोष और बढ़ा। केंद्रीय नेतृत्व में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लिहाजा इस्तीफे तक का कदम उठाना पड़ा।

डेढ़ साल पहले गोवा में कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक अक्षमता उजागर हुई थी। अब फिर से उस पर मुहर लगी है। राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो चलेंगे ही, लेकिन कांग्रेस जितनी जल्दी खुद को आंकने का काम शुरू कर दे उतना अच्छा होगा।

इंदिरा जयसिंह व आनंद ग्रोवर के घर–दफ्तर पर छापे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर पर सीबीआइ का शिकंजा कस गया है। जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के विदेशी चंदे के दुरुपयोग के आरोप में घिरे आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ 'लॉयर्स कलेक्टिव' के खिलाफ एफआइआर दर्ज करते हुए दिल्ली और मुंबई में पांच जगहों पर छापेमारी की है। गृह मंत्रालय ने लॉयर्स कलेक्टिव को मिले विदेशी चंदे के दुरुपयोग को लेकर सीबीआइ की जांच की अनुशंसा की थी।

सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मई के अंत में गृह मंत्रालय की ओर से जांच की अनुशंसा का पत्र मिलने के बाद 13 जून को एफआइआर दर्ज की गई। इसी सिलसिले में गुरुवार को इंदिरा जयसिंह के दिल्ली के ईस्ट निजामुद्दीन स्थित घर और दफ्तर के साथ-साथ लॉयर्स कलेक्टिव के मुंबई स्थित आफिस और आनंद ग्रोवर के घर पर भी छापा मारा गया है। सीबीआइ अफसरों ने गुरुवार की सुबह पांच बजे से ही दोनों शहरों में छापेमारी शुरू कर दी थी। हालांकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआइ की एफआइआर में इंदिरा जयसिंह का नाम नहीं है। हालांकि एफआइआर में अज्ञात अफसरों, निजी क्षेत्र के लोगों और सरकारी नौकरों को भी आरोपित बनाया गया है। सीबीआइ ने अपनी जांच में दावा किया है कि छानबीन में उन्हें कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि लायर्स कलेक्टिव को मिले चंदे में कुल कितने करोड़ रुपये की गड़बड़ी हुई । उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को भी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जांच के लिए कहा जा सकता है। ताकि दुरुपयोग की राशि को आरोपितों के पास से जब्त किया जा सके।

- सीबीआइ की दिल्ली और मुंबई में पांच जगहों पर छापेमारी
- एनजीओ 'लॉयर्स कलेक्टिव' पर विदेशी चंदे के दुरुपयोग का आरोप

सीबीआइ की कार्रवाई के दौरान अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर इंदिरा जयसिंह। एएनआइ

मानवाधिकार कार्यों के लिए बनाया निशाना : इंदिरा

नई दिल्ली, आइएएनएस : इंदिरा जयसिंह ने अपने आवास के बाहर गुरुवार को बताया कि आनंद ग्रोवर और मुझ पर मानवाधिकार के क्षेत्र में सालों से कार्य करने के लिए निशाना साधा जा रहा है। हालांकि सीबीआइ अफसरों ने छापेमारी के दौरान मिले सामान पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है।

लंबे समय से एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के आरोपों में घिरा है पेज>>6